दिनांक: 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर नकबजन/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गये 06 लाख 40 हजार रूपये नकद, 01 चोरी गया मोबाइल फोन, चोरी के रूपये से खरीदी गयी 01 मोटरसाइकिल डिस्कवर व 01 मोबाइल फोन, वादी का आधार व पैन कार्ड भी बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 30.06.2026 को वादी श्री अरविन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 29/30.06.2026 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर में घुस कर अलमारी में रखे 9,30,000 रूपये नकद व 01 मोबाइल फोन वन प्लस चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 323/26 धारा 305(a) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी/लूट/छिनैती आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया** जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर नकबजन/अभियुक्त बिलाल पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला बाहुद्दीन कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर **चोरी गये 06 लाख 40 हजार रूपये नकद, 01 चोरी गया मोबाइल फोन, वादी का आधार कार्ड व पैन कार्ड, चोरी के रूपये से खरीदी गयी 01 मोटरसाइकिल डिस्कवर यू0पी0 11 जेड 9789 व 01 मोबाइल फोन, वादी का आधार कार्ड व पैन कार्ड** भी बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ विवरण- *अभियुक्त बिलाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै नशे का आदि हूँ तथा अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये चोरी कर लेता हूं तथा पहले भी चोरी के मुकदमे में जेल भी जा चुका है। दिनांक 29/06/26 की रात्रि में अपनी नशे की लत पूरा करने के लिये चोरी के इरादे से घूम रहा था तो मै एक ट्रैक्टर ट्राली पर बैठकर गंगोह से गांव लखनौती गया था तथा लखनौती चौराहे पर ही उतर गया था और फिर लखनौती में बाजार की तरफ गया तो सभी दुकान बन्द थी और अन्धेरा भी हो रहा था। जब मै आगे चला तो एक बडा सा मकान दिखाई दिया था। फिर मै इधर उधर देखता रहा तो मै बिजली के खम्बे के सहारे ऊपर उस घर की दीवार पर चढ गया और वही पर बांस की सीडी से उतरकर घर में घुस गया था। मैने देखा कि वहां पर सभी लोग सोये हुए है, उनमे से एक महिला के सिराने एक फोन रखा था जो मैने उठा लिया था तथा इसके बाद मै घर के अन्दर गया तो एक कमरा खुला हुआ दिखायी दिया मै कमरे मे अन्दर गया तो वहां पर दो अलमारी थी। एक अलमारी खुली थी जिसमें एक चाबी का गुच्छा रखा था जिससे मैने दूसरी अलमारी का ताला खोल लिया जिसके अन्दर से मुझे एक लकडी की गुल्लक जैसा छोटा डिब्बा मिला था जिसमें कुछ नकद रूपये व सिक्के रखे थे, फिर अलमारी के लोकर खोला तो एक थैले में नोटो की काफी गड्डिया रखी थी और मैने जल्दी से रूपयो से भरा थैला व लकड़ी*

की गुल्लक व मोबाइल फोन लेकर उसी दीवार के रास्ते घर से बाहर आकर वहा से भाग गया। पकडे जाने के डर से मैने रूपये से भरे थैले को कस्बा गंगोह के मौहल्ला कानूनगोयान में एक खण्डर में छिपा दिया था तथा मोबाईल का सिम तोड कर फैंक दिया था तथा गुल्लक को तोडकर रूपये निकालकर उसे भी फैंक दिया था। उन रूपये में से कुछ रूपये अपने खर्चे व नशे की जरूरत को पूरा करने के लिये निकाल लिये थे तथा फोन को अपने साथ लेकर घर आ गया था और बीच बीच में उस खण्डर में जाकर थैले से जरूरत के हिसाब से रूपये निकालकर ले आता था तथा कुछ रूपये मैने अपने नशे की जरूरत में खर्च कर दिये थे, बाद में उन्ही पैसों में से मैने एक दूसरा मोबाइल फोन व एक सेकेड हेंड डिस्कवर मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। जो मैने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बिलाल पुत्र उस्मान निवासी मौहल्ला बाहुद्दीन कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- *06 लाख 40 हजार रूपये नकद*
- *01 चोरी गयी मोबाइल फोन (कम्पनी वन प्लस)*
- *01 अन्य मोबाइल फोन (चोरी गये पैसो से खरीदा गया)*
- *01 मोटरसाइकिल डिस्कवर सेकेण्डहेंड (चोरी गये पैसो से खरीदी गयी)*
- *01 आधार कार्ड (वादी का)*
- *01 पैन कार्ड (वादी का)*

अभियुक्त बिलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 423/20 धारा 380/411भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 570/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 400/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *निरीक्षक श्री लाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
5. *हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
6. *हे0का0 813 संजीव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः-30.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 29.07.2026 की रात्रि मे थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सख्या 2055/21 व मु0अ0सं0 186/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में ग्राम पाण्डोली से व* ***2. हारिस पुत्र साजिद निवासी बेलडा जुनारदार थाना नागल सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सख्या 2417/2025 धारा 147 बीएनएसएस में ग्राम बेलड़ा जुनारदार से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *नसीम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर*
2. *हारिस पुत्र साजिद निवासी ग्राम बेलड़ा जुनारदार थाना नांगल जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जनपद सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर*
4. *का0 2337 कृष्णगोपाल थाना नागल जिला सहारनपुर*

दिनांक- 30.07.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में*** *अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान* ***01 वारण्टी अभियुक्त सरफराज उर्फ शेरू पुत्र हफीज मतबूल हसन निवासी मौ0 तकिये के सामने खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर हाल पता फैसल मस्जिद के सामने वाली खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 490/22 अ0सं0 407/20 धारा 147/188/186/419/ 269/411 भादवि में खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज उर्फ शेरू उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सरफराज उर्फ शेरू पुत्र हफीज मतबूल हसन निवासी मौ0 तकिये के सामने खान आलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर हाल पता फैसल मस्जिद के सामने वाली खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *रि0का0 1202 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः-30.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा संवेदनशील एवं मानवीय कार्यशैली का परिचय देते हुए 75 वर्षीय गुमशुदा वृद्ध को परिजनों से पुनः मिलाया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मिले गुमशुदा व्यक्तियों को उनके परिजनों से मिलाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 26.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सहारनपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक वृद्ध व्यक्ति लावारिस अवस्था में घूमते हुए मिले। वृद्ध व्यक्ति अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताने अथवा बोलने में असमर्थ थे। तत्काल मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया तथा आवश्यक देखभाल हेतु वृद्धाश्रम, आवास विकास चौकी क्षेत्र, सहारनपुर में सकुशल लाया गया। उक्त प्रकरण से तत्काल उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वृद्ध व्यक्ति की पहचान एवं उनके परिजनों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए गए।

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्रित करने पर **वृद्ध गुमशुदा व्यक्ति की पहचान श्री प्रेमचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री रामप्रसाद, निवासी लाडवा, थाना लाडवा, जनपद कुरुक्षेत्र (हरियाणा), आयु लगभग 75 वर्ष** के रूप में हुई। जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र श्री दीपक कुमार द्वारा अपने पिता की गुमशुदगी संबंधी रिपोर्ट थाना लाडवा, जनपद कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में पूर्व से दर्ज कराई गई थी।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 29.07.2026 को परिजन सहारनपुर पहुंचे, जहां आवश्यक सत्यापन एवं विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत गुमशुदा वृद्ध श्री प्रेमचन्द को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। परिजनो द्वारा सहारनपुर पुलिस एवं थाना सदर बाजार पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. म0उ0नि0 चचंल कुमारी थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. उ0नि0 नितिन कुमार मलिक थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. उ0नि0 रचित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. है0का0 867 प्रवीन त्यागी थाना सदर बाजार
6. है0का0 1041 सोहित राठी थाना सदर बाजार

-प्रेस नोट-

दिनांक 30.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की स्कूटी बरामद

सादर अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/असलाह तस्करी की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान** चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **02 शातिर अभियुक्तगण 1. अमन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी पुरानी चुंगी निकट बागेश्वर मन्दिर ग्रीन सिटी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर व 2. कादिर पुत्र रमजानी निवासी जुमा मस्जिद के पास मौ0 जाफर नवाज निकट मौ0 समादार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को बाबालालदास रोड कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अवैध चाकू व 01 चोरी की स्कूटी बरांमद । स्कूटी बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0स0 392/26 धारा 303(2)/336/318(4)/317(2) बीएनएस व चाकू की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 393/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अमन पुत्र अब्दुल मलिक निवासी पुरानी चुंगी निकट बागेश्वर मन्दिर ग्रीन सिटी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. कादिर पुत्र रमजानी निवासी जुमा मस्जिद के पास मौ0 जाफर नवाज निकट मौ0 समादार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नाजायज चाकू
- 01 अदद स्कूटी चोरी की स्कूटी

अभियुक्त अमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 266/2024 धारा 107 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुधीर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक- 22.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 425 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 85 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30/07/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त साजिद पुत्र अफलातून निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को **रादौर रोड पर सतपाल पुत्र साधू नि0 ग्राम रादौर की टयूबवैल से** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 425 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत 85 लाख रूपये)** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 100/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *साजिद पुत्र अफलातून नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरणः-

- *425 ग्राम अवैध स्मैक*

आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 653/2024 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 011/2023 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 100/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना तीतरों सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *थानाध्यक्ष विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 मुकेश कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 1035 सचिन कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*

दिनांक 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त मोहसिन उर्फ काला पुत्र नसीम निवासी मौ0 गुजरान गुर्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को तीतरो सालियर चौराहे से ननौता की तरफ राम नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहसिन उर्फ काला पुत्र नसीम निवासी मौ0 गुजरान गुर्जरवाडा कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त मोहसिन उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 277/2015 धारा 147/148/149/307/323/427/452/504/506 भादवि थाना गगोह सहारनपुर
2.मु0अ0स0 530/2021 धारा 8/21 एनड़ीपीएस एक्ट थाना गगोह सहारनपुर
3.मु0अ0स0 531/2021 धारा 414 भादवि थाना गगोह सहारनपुर
4.मु0अ0स0 099/2026 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना तीतरो

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
3. है0का0 759 रोहित कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
4. रि0का0 2639 प्रेम सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

दिनांक: 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान वांछित वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के दौरान ***03 वारंटी अभियुक्तगण 1. इकबाल पुत्र फैज निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट जनपद सहारनपुर, 2. बाबर पुत्र इरशाद उर्फ भूरा निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 3. सलमान पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 12097/2023 धारा 147/148/452/323/336/352/427/506 भादवि चालानी थाना बेहट में ग्राम खिडका भटकव्वा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. *इकबाल पुत्र फैज निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट सहारनपुर*
2. *बाबर पुत्र इरशाद उर्फ भूरा निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट सहारनपुर*
3. *सलमान पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम खिडका भिटकव्वा थाना बेहट सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
2. *है0का0 734 सतेन्द्र कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*
3. *का0 2183 संजू सैम थाना बेहट, सहारनपुर*
4. *रि0का0 482 विशाल कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*

दिनांक: 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 03 ट्रैक्टर व 06 ट्राली को कब्जे में लेकर सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी नकुड़ एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 ट्रैक्टर व 06 ट्रालियों को ग्राम कुण्डा कला स्थित यमुना नदी के घाट से कब्जे में लिया गया तथा विधिक कार्यवाही करते हुए सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया । ट्रैक्टर ट्राली चालक पुलिस टीम को चेकिंग करते देख मौके से फरार हो गये । आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जायेगी ।

सीज ट्रैक्टर ट्रालियों का विवरण:

- महेन्द्रा लाल रंग 585 DI XP PLUS CH- MBNGAANUUSRK18237
- महेन्द्रा लाल रंग 575 DI XP PLUSE CHASIS – MBNGAALFZRRC06316
- महेन्द्रा लाल रंग 585 CHASI MBNAANABMJE00401
- 06 ट्रालियाँ

सीज करने वाली संयुक्त टीम का विवरण–

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. संग्रह अमीन श्री अरविन्द कुमार तहसील नकुड जनपद सहारनपुर
3. संग्रह अमीन श्री विशेष कुमार तहसील नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह सहारनपुर
5. है0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
6. का0 977 दाऊद रजा थाना गंगोह सहारनपुर

दिनांक: 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः *दिनांक 17/07/2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी मोहम्मद तबरेज पुत्र यामीन उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी से दुष्कर्म करने, गर्भवती होने के बाद शादी से इंकार करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के संबंध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 529/2026 धारा 69/352/351(3)/61(2)/123 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबंद श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के* ***वांछित अभियुक्त मोहम्मद तबरेज पुत्र यामीन उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को जामिया तिब्बिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1- मोहम्मद तबरेज पुत्र यामीन उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सुबोध कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांक- 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/चोरी/नकबजनी/छिनैती आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर गौकश अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक दिनांक 30.07.2026 को दोपहर समय करीब 14.17 बजे थाना प्रभारी मिर्जापुर मय पुलिस फोर्स के बुढी जमुना नदी के किनारे चेकिंग कर रहा थे । तभी खनन जोन की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, संदिग्ध प्रतीत होने पर रोकने का प्रयास किया गया नहीं रुके तथा पुलिस टीम पर जान से मारने के नियत से फायर करते हुए बुढी जमुना के किनारे झुंडों की तरफ भागे तथा कुछ दूर जाकर अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर झुंडों की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फिर फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया । घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान ***जावेद पुत्र रईस का निवासी गांव महमूद माजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*** *के रूप में हुई । घायल बदमाश के* ***कब्जे से 01 देशी तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व गौकशी के उपकरण*** *बरामद हुए । घायल अभियुक्त का साथी/बदमाश फायरिंग करता हुआ जंगलों की तरफ भाग गया । जिसकी तलाश हेतु लगातार काम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिर्जापुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा सक्रिय गौकश भी है जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थानों पर कुल 08 मुकदमे दर्ज हैं । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 216/2026 धारा 109(1)/336(2) बीएनएस व3/25/5/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जावेद पुत्र रईस का निवासी गांव महमूद माजरा रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 देशी तमंचा,*
- *03 जिन्दा कारतूस,*
- *01 खोखा कारतूस,*
- *01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल*
- *गौकशी के उपकरण*

अभियुक्त जावेद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0 03/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

2. *मु0अ0सं0 56/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 10/23 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
4. *मु0अ0स0 182/19 धारा 5क/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
5. *मु0अ0स0 13/21 धारा 10 जी गुण्डा एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
6. *मु0अ0स0 97/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
7. *मु0अ0स0 154/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
8. *मु0अ0स0 121/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0847 धर्मेन्द्र थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 1318 दीपक थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1666 पंकज थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
6. *का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*

दिनांक 30.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 06 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2019 को वादी निरीक्षक श्री बिजेन्द्र सिंह रावत थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1- हैदर पुत्र महताहब नि0 मौ0 शेखजादगान थाना तितरो सहारनपुर व 2- वाहिद पुत्र मेहताब नि0 उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-50/2019 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-760/2026 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 30.07.2026 को अभियुक्तगण 1- हैदर पुत्र महताहब निवासी मोहल्ला शेखजादगान थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व 2- वाहिद पुत्र मेहताब निवासी मोहल्ला शेखजादगान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर** को मु0अ0स0-50/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 06 वर्ष 10 माह का कठोर कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता- (एडीजीसी) श्री मेघराज सिंह चौहान।

विवेचक- निरीक्षक श्री वीरपाल सिंह गिरि।

पैरोकार-है0का0 कृष्णकांत तिवारी थाना बिहारीगढ सहारनपुर।